

Substrate
Record

आदेश फासक

कमिशनर सं० - 38/17-18
कर्म का प्रकार - विविधवाद
हॉचल - गोमिया

1-

22/11/17

28/12/17

आवेदक नारायण महली पिता-सुबह
दासु महली ग्राम-तुलबुल पाठ-हरदियामो
गोमिया वीकारी का आवेदन का अवलोकन
किया इन्हीं आवेदन किया है कि माँजा
तुलबुल शकाल सं०-58 उन्हाट सं०-1982,
2094, 2099, एवं 1980 शकवा-1.00 ए० अमि
सेरे दादा लोडा महली के नाम से है। लंडन
अमि पर सुरेश महली, गोदी महली, कीटी महली
एवं शम्भू महली ने जोले आवेदन करा है।
उक्त अमि की जांच क. वापस दिनांक हेतु
अनुसंध किया है। इस संबंध मुल आवेदन
हल्का राजस्व कर्मचारी एवं हॉचल निरीक्षण
की जांच हेतु है। (व. प्रचार्य कमिशनर
दिनांक 16-04-18 को उपस्थापित करें।

उन्हाट
हॉचल वीकारी
गोमिया।

16/01/18

15/02/18

कमिशनर उपस्थापित।
हल्का राजस्व कर्मचारी का जांच परिवर्तन
हॉचल निरीक्षण के माध्यम से प्रस्तुत किया
इन्हीं परिवर्तन किया है कि आवेदक द्वारा
दिया गया आवेदन का स्थायी एवं राजस्व
कमिशनरों से जांच परानु पाया कि माँजा
तुलबुल ग्राम सं०-12 के उन्हाट शकाल
सं०-58 मुल शकवा-2.24 ए० अमि से
सूचनी शकाल की है जो शिवा महली के नाम
से दर्ज है।

पंजी-4 के पृष्ठ सं० 39, नॉलूम सं०-4
पट शिवा महली के नाम से शकाल सं०-58
उन्हाट सं०-910, 911, 923, 924, 925, 1982,
1987, 1992, 2094, एवं 2099 शकवा 2.24

भूमि दर्ज है जिसका लगान बरसीद वर्ष-
1976-77 से 2001-02 तक निर्गत है।

आवेदक का कहना है कि प्लॉट सं०-1982
2094, 2099 एवं 1980 रकबा-1.00 एकड़ भूमि
सुरेश कान्हा लोदी मठानी के नाम से है आवेदक
से उपरोक्त खाता प्लॉट रकबा से संबंधित
कागजात की मांग करने पर केवल प्रमाण
दिया गया है उनका कहना है कि एम.ए.ए.
-यानी डी.गल के पंजाब है। जबकि मुन्नी उपरोक्त
प्लॉट पर सुरेश मठानी, गोपनी मठानी, कोटी
मठानी एवं शंभु मठानी द्वारा जमीन में खिसा
पत्री दिया जा रहा है इस संबंध में
सभी संबंधित को मूल कागजात के साथ
उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करने
पर पत्रचार अधिसूचना दिनांक 12/03/18
को उपस्थापित करें।

12/03/18
आवेदक अधिकारी

गोमिया

12/03/18

अभिलेख उपस्थापित। देखा। उभय
पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष का कहना है कि
मौजा- तुलबुल अन्तर्गत खाता सं० 58
प्लॉट न० 1982, 2094, 2099 एवं 1980
रकबा 1.00 ए० भूमि उल्लेख अन्वी, फर्द
रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त है का
खिसा नहीं दिया जा रहा है। प्रस्तुत
कागजात संदेहास्पद है। अतः प्रस्तुत
पैपर के आधार पर कोई निर्णय
उचित नहीं है। आवेदक सूक्ष्म न्यायालय
में अपील दाखल कर लकत है।

12/03/18
C.O. Home